

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)


बैठक सूचना

मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 12.05.2015 को सायं 3.30 बजे निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक रखी गयी है।

1. वर्ष 2014-15 व 2015-16 के बजट घोषणा की क्रियान्विति।
2. मुख्यमंत्री घोषणा।
3. मुख्यमंत्री निर्देश
4. विभागीय प्रगति।

उपरोक्त बिन्दुओं पर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज द्वारा दिनांक 7.5.2015 को प्रातः 10.00 बजे समिति कक्ष, एसएसओ भवन (उत्तरी-पश्चिमी भवन) प्रथम तल में पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक रखी गयी है। निर्देशानुसार कृपया उपरोक्त सूचनाओं के साथ प्रजेन्टेशन सहित निम्न अधिकारीगण बैठक में भाग लेने का श्रम करें:-

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. महानिदेशक, आई.जी.पी.आर.एस।
3. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
4. आयुक्त, नरेगा।
5. निदेशक, मिड-डे-मील।
6. निदेशक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
8. परियोजना निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा।
9. परियोजना निदेशक, (एमई) आजीविका
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल
11. वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज/ग्रामीण विकास विभाग
12. समस्त योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।




परि.निदे. एवं उप सचिव (मो एवं मू)
जयपुर, दिनांक 6/5/2015

क्रमांक एफ 2 (3)ग्रावि/अनु:8/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, आई.जी.पी.आर.एस।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
7. निजी सचिव, निदेशक, मिड-डे-मील।
8. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, एलपी एण्ड एसएचजी।
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
11. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), पंचायती राज।
12. संयुक्त निदेशक (मोनिटरिंग), पंचायती राज।
13. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज।
14. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
15. परि.निदे. एवं उप सचिव (मो एवं मू/एसएपी-सीएसएस/एसएस/ईजीएस)।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल
17. नोडल अधिकारी, एम-पॉवर।
18. समस्त योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग.....



परि.निदे. एवं उप सचिव (मो एवं मू)